राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट, रूपनगढ़ (अजमेर)

राजस्व वाद संख्या 368/2016

दायर दिनांकः—19.07.2016

1. नन्दकिशोर पुत्र श्री अणतराम जाति ब्राह्मण आयु 41 वर्ष, निवासी ग्राम सिणगारा,तहसील रूपनगढ़, जिला अजमेर राजस्थान

उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

........प्रार्थी

बनाम

1. सत्यनारायण भांभी पुत्र श्री खीवा भांभी उम्र लगभग 55 वर्ष जाति भांभी निवासी ग्राम सिणगारा,तहसील रूपनगढ़, जिला अजमेर राजस्थान
2. गणपत भांभी पुत्र श्री मोडू भांभी उम्र लगभग 40 वर्ष जाति भांभी निवासी ग्राम सिणगारा,तहसील रूपनगढ़, जिला अजमेर राजस्थान
3. उगमाराम पुत्र श्री मोडू भांभी उम्र लगभग 36 वर्ष जाति भांभी निवासी ग्राम सिणगारा,तहसील रूपनगढ़, जिला अजमेर राजस्थान
4. मुकेश पुत्र श्री नरसी भांभी उम्र लगभग 37 वर्ष जाति भांभी निवासी ग्राम सिणगारा,तहसील रूपनगढ़, जिला अजमेर राजस्थान
5. श्रीमती सुशीला पत्नी श्री उगमाराम उम्र लगभग 34 वर्ष जाति भांभी निवासी ग्राम सिणगारा,तहसील रूपनगढ़, जिला अजमेर राजस्थान
6. श्रीमती सुवा पत्नी श्री अर्जुन भांभी उम्र लगभग 40 वर्ष जाति भांभी निवासी ग्राम सिणगारा,तहसील रूपनगढ़, जिला अजमेर राजस्थान

.......अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत।

निर्णय

दिनांक 23.09.2021

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम सिणगारा पटवार हल्का सींगला भू0अ0नि0 क्षेत्र थल तहसील रूपनगढ़ में स्थित भूमि के खाता संख्या नया/पुराना 355/304 खसरा नम्बर 93 रकबा 07 बिस्वा किस्म गै.मु. चाह जिसमें प्रार्थी का 6/9 हि0 तथा खसरा नम्बर 94 रकबा 26—13 बीघा में प्रार्थी का 1/3 हि0 निहित है। उक्त हिस्सानुसार प्रार्थी उक्त भूमि पर काबिज काश्त है। उक्त कृषि भूमि को उक्त भूमि के खातेदार श्री तेज सिंह पुत्र श्री हरनाथ दरोगा से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र [illegible] 30.05.2016 को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था उक्त के बाद प्रार्थी के पक्ष में निष्पादित रजिस्टर्ड [illegible] पत्र के आधार पर उक्त भूमि का नामान्तकरण, नामान्तकरण संख्या 1093 दिनांक 25.06.2016 को [illegible] राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के नाम का अंकन किया गया था इस प्रकार प्रा0पत्र में वर्णित हिस्सा [illegible] पर प्रार्थी के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि है जिस प्रार्थी का ही हक हिस्सा अधिकार है। उक्त भूमि को खातेदार तेज सिंह पुत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2021.10.20 18:06:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

हरनाथ दरोगा से क्रय करने पर कब्जा प्राप्त करने के पश्चात उक्त भूमि पर प्रार्थी के द्वारा जून 2016 में हकाई, जुताई की गई थी तथा उक्त भूमि को हकाई, जुताई कर बुआई योग्य बनाया गया था। तब किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी भी तरह की कोई बाधा प्रार्थी के हकाई, जुताई में कारित नहीं की गई थी। प्रार्थी दिनांक 12.07.2016 को प्रा0पत्र में वर्णित ख0न0 94 में प्रार्थी के हिस्से की भूमि पर प्रार्थी ट्रेक्टर से बुआई कर रहा था तब अप्रार्थीगण एकजुट होकर आये तथा प्रार्थी के द्वारा की जा रही बुआई में अवैध रूप से बाधा कारित की गई। प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थीगण के उक्त अवैध कृत्य का विरोध करने पर अप्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थी को कहा गया कि या तो तुम जमीन हमारे को बेच कर कब्जा सम्भला दो नही तो हम तुम्हारे को झूठे मुकदमे में फसा कर तुम्हारे को बुवाई करवाना भुला देगें तथा जबरन कब्जा कर लेगे। उक्त प्रकार से कहते हुए प्रार्थी के द्वारा की जा रही बुआई में बाधा कारित की गई तथा प्रार्थी के विरूद्ध झूठी कार्यवाही की गई। प्रार्थी के हिस्से की भूमि पर प्रार्थी के अलावा अप्रार्थीगण का किसी भी तरह का हक हिस्सा अधिकार व कब्जा नहीं है इस कारण प्रार्थी के द्वारा क्रय शुदा खातेदारी की भूमि पर अप्रार्थीगण को प्रार्थी के कब्जे काश्त, हकाई, जुताई, बुआई उपयोग उपभोग में बाधा कारित करने, व्यवधान उत्पन्न करने तथा प्रार्थी के हिस्से की भूमि पर जबरन कब्जा करने का किसी तरह का कोई अधिकार नहीं है। उक्त के बावजूद भी अप्रार्थीगण अवैघ रूप से प्रार्थी के कब्जे काश्त, हकाई, जुताई, बुआई उपयोग उपभोग में बाधा कारित करने में उतारू होने के कारण अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैसला मूल वाद पाबन्द करवाने हेतु यह प्रा0पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। वाद कारण प्रथम बार जुलाई 2016 के प्रथम सप्ताह में तब उत्पन्न हुआ जब अप्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थी को उक्त भूमि पर बुआई नहीं करने देने की धमकी दी गई उक्त के बाद दिनांक 12.07.2016 को प्रार्थी के द्वारा प्रार्थी के हिस्से की भूमि पर बुआई करने पर अप्रार्थीगण के द्वारा बाधा कारित की गई तथा प्रार्थी को झूठे मुकदमे में फसा कर प्रार्थी के हिस्से की भूमि को जबरन कब्जा करने की धमकी देने के कारण वाद कारण उत्पन्न होकर निरन्तर रूप से जारी है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गई। अप्रार्थी संख्या 1 से 3, 5 व 6 के नोटिस तामिलशुदा तथा अप्रार्थी संख्या 4 का नोटिस अदमतामिल प्राप्त हुआ। अप्रार्थीगण की ओर से भी प्रकरण में जवाब पेश किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। पत्रावली के अध्ययन, अवलोकन के पश्चात प्रार्थी का प्रा0पत्र अस्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रा0पत्र अस्वीकार किया जाकर ग्राम सिणगारा के ख0न0 93 व 94 में दि[illegible] को जारी अस्थायी निषेधाज्ञा प्रभावहीन करते हुए उभयपक्ष को इस बाबत मूल वाद के निस्तार[illegible] किया जाता है कि मौके पर वर्तमान में जिसका कब्जा है, उसे मौके से बेदखल नहीं करें, कब्जे [illegible] बाधा कारित नहीं करे एवं शान्ति व्यवस्था बनायें रखें।

निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया व शामिल पत्रावली किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2021.10.20 18:06:09 IST
Reason: SelfAttested